

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली

दिनांक: 01.08.2025

<u>सूचना</u>

विषय: एनबीईएमएस पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी प्रशिक्षुओं (2025 प्रवेश सत्र) के रूप में पंजीकरण के लिए ओपीजेआर में ज्वाइनिंग रिपोर्ट और स्व-मूल्यांकन फॉर्म जमा करना-संबंधी।

कृपया ध्यान दें:

- (i) सभी एनबीईएमएस मान्यता प्राप्त अस्पताल
- (ii) उम्मीदवार जो 2025 प्रवेश सत्र में एनबीईएमएस पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी पाठ्यक्रम में शामिल ह्ए हैं।
- 1. 2025 के प्रवेश सत्र में ब्रॉड स्पेशियितटी कोर्स (पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन पोर्टल फॉर जॉइनिंग एंड रिजस्ट्रेशन (ओपीजेआर) पर अपनी जॉइनिंग स्थिति अपडेट करनी होगी। इसमें वे सभी उम्मीदवार शामिल हैं जिन्होंने एनबीईएमएस द्वारा उन्हें आवंटित सीटों को जॉइन किया है। इन-सर्विस कोटा सीटों में शामिल होने वाले इन-सर्विस उम्मीदवारों को भी ओपीजेआर पर अपनी जॉइनिंग स्थिति अपडेट करनी होगी।
- 2. ओपीजेआर में ज्वाइनिंग और स्व-मूल्यांकन पूरा करने के लिए शामिल चरण:

एनबीईएमएस द्वारा आबंटित सीटें (पोस्ट	राज्य सरकार/रेलवे/सार्वजनिक क्षेत्र के
डिप्लोमा डीएनबी सीटें)	उपक्रमों/ईएसआईसी द्वारा सेवारत डॉक्टरों के
	लिए आबंटित सीटें (सेवारत कोटा पोस्ट डिप्लोमा
	डीएनबी सीटें)
• प्रशिक्षु द्वारा ओपीजेआर में कार्यभार ग्रहण	• अस्पताल द्वारा ओपीजेआर में आवंटन
करने की औपचारिकताएं पूरी करना	विवरण प्रस्तुत करना
• संबंधित अस्पताल द्वारा अनुलग्नक-ए	• प्रशिक्षु द्वारा ओपीजेआर में कार्यभार ग्रहण
(ज्वाइनिंग रिपोर्ट) अपलोड करके ज्वाइनिंग	करने की औपचारिकताएं पूरी करना
रिपोर्ट प्रस्तुत करना	• संबंधित अस्पताल द्वारा अनुलग्नक-ए
• प्रशिक्षु द्वारा स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करना	(ज्वाइनिंग रिपोर्ट) अपलोड करके ज्वाइनिंग
• संबंधित अस्पताल द्वारा स्व-मूल्यांकन का	रिपोर्ट प्रस्तुत करना
सत्यापन	• प्रशिक्षु द्वारा स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करना
	• संबंधित अस्पताल द्वारा स्व-मूल्यांकन का
	सत्यापन

- 3. इस स्व-मूल्यांकन का उद्देश्य, एनबीईएमएस मान्यताप्राप्त अस्पताल में नियुक्ति के बाद, संबंधित सूचना बुलेटिन में दर्शाए गए पात्रता मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षु के रूप में एनबीईएमएस में पंजीकरण के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करना है।
- 4. यह सुनिश्चित करना अस्पताल की जिम्मेदारी होगी कि प्रशिक्षु सूचना बुलेटिन में बताए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। मान्यता प्राप्त अस्पताल को सलाह दी जाती है कि ओपीजेआर पर प्रशिक्षुओं के स्व-मूल्यांकन का सत्यापन अस्पताल द्वारा बहुत सावधानी से किया जाता है। पात्रता निर्धारण के लिए अस्पताल द्वारा मूल दस्तावेजों की भी जांच की जानी चाहिए। उम्मीदवार को प्रशिक्षु के रूप में पंजीकृत करने के उद्देश्य से किसी भी झूठे या मनगढ़ंत रिकॉर्ड/सूचना/दस्तावेजों को मंजूरी देने/अग्रेषित करने वाले अस्पतालों पर मान्यता समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
- 5. ज्वाइनिंग रिपोर्ट के सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण और अस्पताल द्वारा स्व-मूल्यांकन के सत्यापन के बाद, प्रशिक्षु को एनबीईएमएस द्वारा "अनंतिम पंजीकरण पत्र" जारी किया जाएगा।
- 6. ओपीजेआर **5 अगस्त 2025** से लाइव होगा। प्रशिक्षुओं और अस्पतालों को निम्नलिखित समयसीमा का पालन करना होगा:

प्रशिक्षुओं के लिए समयसीमा	अस्पताल के लिए समयसीमा
5 अगस्त से 20 अगस्त 2025 तक	5 अगस्त से 25 अगस्त 2025 तक

- 7. एनबीईएमएस प्रशिक्षण की आरंभ तिथि: अभ्यर्थी को काउंसलिंग के संबंधित दौर की रिपोर्टिंग विंडो के भीतर एनबीईएमएस प्रशिक्षण में शामिल होना होगा। अस्पताल एनबीईएमएस की स्वीकृति के बिना शामिल होने की तिथि में कोई एक्सटैन्शन नहीं देगा।
- 8. सेवारत राज्य कोटा उम्मीदवारों और सरकारी संगठन द्वारा नियोजित उम्मीदवारों के लिए, एनबीईएमएस प्रशिक्षण के लिए शामिल होने और पंजीकरण की तारीख मूल संगठन से कार्यमुक्त होने के बाद शामिल होने की वास्तविक तारीख होगी।
- 9. प्रशिक्षुओं को ओपीजेआर में शामिल होने और स्व-मूल्यांकन से पहले ऑनलाइन पोर्टल फॉर जॉइनिंग एंड रिजस्ट्रेशन (ओपीजेआर) पर उपलब्ध विस्तृत दिशा-निर्देशों को पढ़ना आवश्यक है। यह दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे स्व-मूल्यांकन प्रोफ़ॉर्मा को पूरा करने के बाद घोषणा को ध्यान से पढ़ें, जिस पर वे सहमत होंगे। प्रशिक्षु ध्यान दें कि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता संबंधित सूचना बुलेटिन में दिए गए मानदंडों के अनुसार सख्ती से होगी।

स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया की रूपरेखा के लिए यहां क्लिक करें

- 10. स्व-मूल्यांकन फॉर्म और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में दी गई जानकारी की सटीकता और प्रामाणिकता की पूरी जिम्मेदारी प्रशिक्षु की होगी। दी गई जानकारी में कोई भी विसंगति या गलत बयानी पाए जाने पर पाठ्यक्रम में आगे बढ़ने के लिए उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।
- 11. स्व-मूल्यांकन फॉर्म जमा करने और अस्पताल द्वारा उसके बाद के सत्यापन पर प्रदान किया गया पंजीकरण पूरी तरह से अनंतिम होगा और इसे केवल एनबीईएमएस पाठ्यक्रम शुरू करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है। अनंतिम पंजीकरण ओपीजेआर में प्रशिक्षु द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी और दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगा और इस पंजीकरण के प्रदान किए जाने मात्र से प्रशिक्षु के पक्ष में एनबीईएमएस पाठ्यक्रम शुरू करने या अंतिम निकास परीक्षा में उपस्थित होने या एनबीईएमएस डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए कोई भी अधिकार/इक्विटी नहीं बनेगी।
- 12. किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया संचार वेब पोर्टल (सीडब्ल्यूपी) https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main पर एनबीईएमएस को लिखें।



एनबीईएमएस



NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS IN MEDICAL SCIENCES NEW DELHI

Dated: 01.08.2025

NOTICE

Subject: Submission of Joining Report and Self-Appraisal form at OPJR for Registration as NBEMS Post Diploma DNB trainees (2025 Admission Session)-reg.

Kind Attn:

- (i) All NBEMS Accredited hospitals
- (ii) candidates who have joined NBEMS Post Diploma DNB courses in 2025 admission session.
- The candidates who have joined the Broad Specialty courses (Post Diploma DNB) in 2025
 admission session are required to update their Joining status at Online Portal for Joining and
 Registration (OPJR). This includes all candidates who have joined seats allocated to them by
 NBEMS. In-service candidates joining the in-service quota seats are also required to update their
 joining status at OPJR.
- 2. Steps involved for completion of Joining and Self-Appraisal at OPJR:

Seats Allotted by NBEMS (Post Diploma DNB seats)	Seats Allotted by the State Govt./Railways/PSUs/ESIC for in-service doctors (in-service Quota Post Diploma DNB seats)
Completion of Joining Formalities at OPJR by the trainee	Submission of allotment details at OPJR by the hospital
 Submission of Joining report by the concerned hospital by uploading the Annexure-A (Joining Report) Submission of Self-Appraisal by the Trainee Verification of Self-Appraisal by the concerned hospital 	 Completion of Joining Formalities at OPJR by the trainee Submission of Joining report by the concerned hospital by uploading the Annexure-A (Joining Report). Submission of Self-Appraisal by the Trainee Verification of Self-Appraisal by the concerned hospital

- 3. This self-appraisal is meant for determining the eligibility of candidates for registration with NBEMS as trainee in accordance with the eligibility criteria indicated in the concerned information bulletin, subsequent to their joining at the NBEMS accredited hospital.
- 4. It shall be the responsibility of the hospital to ensure that the trainee fulfils the eligibility criteria as indicated in the information bulletin. The accredited hospital is advised that the verification of the self-appraisal of the trainees on the OPJR is done very cautiously by the hospital. The original documents are also to be checked by the hospital towards eligibility determination. The hospitals approving/ forwarding any false or fabricated records/information/documents for the purpose of seeking registration of the candidate as a trainee shall be liable for action as may be appropriate in terms and conditions of the accreditation agreement.
- 5. On successful submission of the joining report and verification of the self appraisal by the hospital, the trainee will be issued a "Letter of Provisional Registration" by NBEMS.
- 6. The OPJR will be live from **5**th **August 2025**. The trainees and the hospitals have to adhere to the following timelines:

Timelines for the trainees	Timelines for the hospital
5 th August to 20 th August 2025	5 th August to 25 th August 2025

- 7. Start Date of NBEMS Training: The candidate has to join the NBEMS training within the reporting window of respective round of counselling. The hospital shall NOT allow any extension in date of joining without approval of NBEMS.
- 8. For in-service state quota candidates & those employed by Govt. organization, the date of joining & registration for NBEMS training shall be the actual date of joining after relieving from the parent organization.
- 9. Trainees are required to go through the detailed guidelines available at Online Portal for Joining & Registration (OPJR) before they proceed with the joining and self-appraisal at OPJR. It is strongly advised to carefully go through the declaration which they shall be agreeing to after completing the self- appraisal proforma. Trainees may note that the eligibility for admission to the concerned course shall be strictly as per the criteria given in the respective information bulletin.

Click here for Outline of Self-Appraisal Process

- 10. It shall be the complete responsibility of the trainee for the accuracy and authenticity of the information provided in the self-appraisal form and the documents submitted. Any discrepancies or misrepresentations found in the information provided shall lead to the termination of the candidature to pursue the course.
- 11. The registration so granted on submission of self-appraisal form and its subsequent verification by the hospital shall be purely provisional and has been granted only for the specific purpose of undertaking the NBEMS course. The provisional registration shall be subject to verification of the information and documents furnished by the trainee at OPJR and mere grant of this registration will not create any rights/equity in favour of the trainee, whatsoever, to undertake the NBEMS course or appear in Final Exit Examination or award of NBEMS degree/diploma.
- 12. For any query, please write to NBEMS at Communication Web Portal (CWP) https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main



NBEMS